न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 202/2017 (उदयपुर डिकी)

जगदीश त्रिवेदी पुत्र दाडमचन्द जी त्रिवेदी, निवासी ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनलाल पिता उमाशंकर जी व्यास, निवासी ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
2. नाथूलाल पिता जवेरचन्द जी जैन, निवासी ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
3. मुकेश भोई पिता कालूलाल जी भोई, निवासी ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिकी उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव
दिनांक 16.11.2017 प्र.सं. 1/2016

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री हर्षद जोशी अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰1
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

20–05–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती एवं निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि आबादी भूमि है, जिससे इस न्यायालय का श्रवणाधिकार नहीं है। अतः वाद विधि द्वारा बाधित होने से खारिज किया जावे।

वादी द्वारा उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में कृषि भूमि अंकित है इसलिए राजस्व न्यायालय को ही सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 16–11–2017 से प्रार्थी/प्रतिवादी का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–12–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री हर्षद जाशी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि इस प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल दावे को ही देखा जाना चाहिए था, ज्यूरिसडिक्शन का बिन्दु इस स्टेज पर तय नहीं किया जा सकता। रेस्पोन्डेन्ट ने जानबूझकर प्रकरण को लम्बा करने के उद्देश्य से उक्त आदेवन प्रस्तुत किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने भूमि आबादी

की होना मानकर निर्णय करने में भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर कथित निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पान्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री को सही बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन तो यह पाया कि जिला कलक्टर उदयपुर के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 30–11–1978 से विवादित भूमि संपरिवर्तित की गयी है एवं जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 की कैफियत में भी विवादित भूमि आबादी की होना स्पष्ट अंकित है। इसके अलावा स्वयं वादी ने भी अपने वाद में 150 x 50 = 7500 वर्गफिट भूमि क्रय किये जाने का अंकन किया है, तद्नुसार वादी के वाद से ही विवादित भूमि आबादी की होना स्पष्ट है एवं आबादी भूमि की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होना मानकर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आवेदन स्वीकार करते हुए वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–11–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

जगदीश चन्द्र त्रिवेदी पुत्र डाडमचन्द त्रिवेदी, निवासी ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर

बनाम

मोहनलाल पिता उमाशंकर व्यास, निवासी ऋषभदेव, तह. ऋषभदेव, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....202 / 2017.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....ऋषभदेव..... मुकाम.....मुवर्खे.....16.....माह..... 11.....2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....20....माह.....05.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री संजय बोहरा.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री हर्षद जोशी

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–11–2017 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....20.....माह.....05... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।